

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 06 नवम्बर, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (टीएसपी) हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-372/खा0ग्रा0बो0/कौ0सु0प्र0-टी0एस0पी0/2017-18, दिनांक 13-09-2017 एवं पत्रांक-426/खा0ग्रा0बो0/कौ0सु0प्र0-टी0एस0पी0/2017-18, दिनांक 27 सितम्बर/30-10-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रुपये 4.08 लाख (रू0 चार लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फॉट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निदेशक कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के तहत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, एवं कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के पत्र संख्या-1425/का0नि0प्र0/26-3-2013-13(21)/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि को एकमुश्त आहरित न कर आश्यकतानुसार आहरित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गार्ड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(8) उक्त धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय/उपयोग प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इत्तर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(9) उक्त स्वीकृति धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।

(10) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-363/35-1-2016-5/31(3)/85, दिनांक 02 जून, 2016 में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी/प्रत्येक प्रशिक्षक का प्रत्येक सत्र का प्रतिदिन का डिजिटल फोटोग्राफ संरक्षित किया जायेगा तथा उनके मोबाइल नम्बर/आधार नम्बर भी संरक्षित किये जायेंगे।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-05-कौशल सुधार प्रशिक्षण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 35/2017/874(1)/59-2-2017-140(खा)/2007 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण 30प्र0 शासन।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- वित्तीय एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, 30प्र0 लखनऊ।
- 10- एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ /गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)

संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 35/2017/874/59-2-2017-140(खा)/2007, दिनांक 06 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (टी.एस.पी.) के अर्न्तगत अनुदान संख्या-81 में प्रावधानित धनराशि रूपये 4.08 लाख (रु0 चार लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति का केन्द्रवार/जनपदवार आवंटित धनराशि का फॉट विवरण:-

क्र0 सं0	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जनपद का नाम	धनराशि (रु0 में)	सत्र सं0	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	विशेष
1	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला-शाहजहाँपुर	1. लखीमपुर-खीरी	1,43,125.00	01	25	जनपद पीलीभीत का प्रशिक्षण 25+21 प्रशिक्षार्थियों का बजट को दृष्टिगत रखते हुए संचालित होगा।
		2. पीलीभीत	2,64,875.00	01	46	
		योग-	4,08,000.00	02	71	

(रूपये चार लाख आठ हजार मात्र)

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।